राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2806/2023

भावना छाबड़ा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर, ब्लॉक झोटवाडा सिटी, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.10.2023

आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर, जयपुर में निरंतर कार्य करने के आदेश दिए जावे तथा वेतन आदि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता भूगोल के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा पदस्थापित किया गया था और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.10.2023 को कार्यग्रहण किया, परंतु मात्र एक दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण राजकीय विद्यालय सेवा जयपुर किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश एवं कार्यमुक्त आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1 एवं 2) को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर, जयपुर में निरंतर कार्य करने के आदेश दिए जावे तथा वेतन आदि का लाभ प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी व्याख्याता के पद पर पदस्थापित है और जिसका स्थानान्तरण राज्य हित में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह नियोक्ता का पूर्ण अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। स्थानान्तरण आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिल्पी बोस वाले मामले में उचित माना है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता भूगोल के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन विद्याधर नगर, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश दिनांक 03.10.2023 के द्वारा पदस्थापित किया गया था और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 05.10.2023 को कार्यग्रहण किया, परंतु मात्र एक दिवस की अल्पावधि में ही अपीलार्थी का पुनः स्थानान्तरण राजकीय विद्यालय सेवा जयपुर किया गया। जहां तक कार्यग्रहण उपरांत मात्र एक दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अति अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया जाना माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा रामेश्वर प्रसाद

गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य नामक एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10827/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2015 में अनुचित माना है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी बिना किसी शिकायत के मात्र एक दिवस की अल्पावधि में ही स्थानान्तरण किया गया है जो अनुचित व विधि के विरूद्ध है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 06.10.2023 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है।

अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 12.10.2023 की (confirm) पुष्टि की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य